

दिनांक: 02.06.2026

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु पेश हुआ। बार बार पुकार कराये जाने पर भी आवेदक/अभियुक्त की ओर से कोई उपस्थित नहीं है और न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र ही दिया गया है। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उपस्थित है। अतः यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त की अनुपस्थिति एवं बल न दिये जाने के कारण बिना गुण-दोष में जाए निरस्त किया जाता है।

सत्र न्यायाधीश,
पीलीभीत
02.06.2026